

(viii)बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकाय जो कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों से इसके भाग रूप में गठित है या इसके सलाह के लिए, का विवरण, और उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकाय जो लोगों की पहुँच के अधीन होंगे का विवरण

निगम का निदेशक मण्डल निम्नवत गठित है:—

1. श्री इंद्रजीत सरोज, अध्यक्ष/निदेशक
मा0 मन्त्री,
समाज कल्याण विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।
2. सुश्री दिशा चैम्बर, निदेशक
मा0 उपाध्यक्ष, अनुगम
3. श्री बलविन्दर कुमार, निदेशक
प्रमुख सचिव,
समाज कल्याण विभाग उ.प्र. शासन
4. श्री राम बहादुर निदेशक
निदेशक,
समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0
5. श्री लाल बिहारी पाण्डेय, निदेशक
प्रबन्ध निदेशक, अनुगम
6. श्री ए0सी0 पाढी, निदेशक
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक,
अनुविनि, नई दिल्ली।
7. श्री ललित कोहली, निदेशक
प्रबन्ध निदेशक,
रा.स.क.वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली
8. श्री आर0के0 वर्मा निदेशक
विशेष सचिव, वित्त विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।
9. श्री कालिका प्रसाद, निदेशक,
उपनिदेशक,
संस्थागत वित्त एवं सर्वहित बीमा
निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ
10. श्री वी0के0 परबन्दा,, निदेशक
वरिष्ठ प्रबन्धक
राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम,
नई दिल्ली।
11. डॉ0 जी0एन0 पान्डेय, निदेशक
प्रमुख समन्वय अधिकारी,
नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
12. श्री गिरीश चन्द्र शुक्ला, निदेशक
निदेशक,
सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ
(कोई सदस्य नामित नहीं)

जिला स्तर पर निगम के कार्यक्रमों एवं उनके लिए अन्य विभागों के योगदान को सुनिश्चित करने के लिए शासनादेश सं. 4488/26-1-1980 दिनांक 11 सितम्बर, 1980 द्वारा जिले में गठित समिति निम्नवत है:-

क-	जिला मजिस्ट्रेट	अध्यक्ष
ख-	मुख्य विकास अधिकारी	सदस्य,
ग-	अपर जिला मजिस्ट्रेट, (परियोजना)	सदस्य
घ-	अपर जिला मजिस्ट्रेट, वित्त एवं राजस्व	सदस्य
ङ-	जिला कृषि अधिकारी	सदस्य
च-	जिला सहा. निबन्धक, (सहकारी समितिया)	सदस्य
छ-	जिला पशुधन अधिकारी	सदस्य
ज-	जिला समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य
झ-	जनरल मैनेजर जिला उद्योग केन्द्र	सदस्य
ट	लीड बैंक के शाखा प्रबन्धक (प्रधान शाखा)	सदस्य
ठ-	प्रमुख राष्ट्रीयकृत बैंक के एक शाखा प्रबन्धक (समिति द्वारा नामित)	सदस्य
ड-	जिला सहकारी बैंक के शाखा प्रबन्धक	सदस्य
ढ-	अपर जिला विकास अधिकारी (स.क.) पदेन जिला प्रबन्धक	सचिव
	अनुगम	

स्वच्छकार विमुक्ति एवं पुनर्वासन योजनान्तर्गत शा. स. 1178/ स्पे.क./ 26-3-92-11 (60) /92 दिनांक 23 अप्रैल, 1992 द्वारा राज्य स्तर, मण्डल स्तर, जिला स्तर पर गठित योजना क्रियान्वयन तथा अनुश्रवण समितियाँ निम्नवत है:-

राज्य स्तर पर

1.	मुख्य सचिव	अध्यक्ष
2.	सचिव, नगर विकास विभाग	सदस्य
3.	सचिव, लघु उद्योग विभाग	सदस्य
4.	सचिव, ग्राम्य विकास विभाग	सदस्य
5.	सचिव, श्रम विभाग	सदस्य
6.	सचिव, उच्च शिक्षा विभाग	सदस्य
7.	सचिव, माध्यमिक, बेसिक तथा प्रौढशिक्षा विभाग	सदस्य
8.	प्रमुख सचिव, प्रावधिक शिक्षा विभाग	सदस्य
9.	प्रमुख सचिव, संस्थागत वित्त	सदस्य
10.	प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग	सदस्य
11.	प्रमुख सचिव, वित्त	सदस्य
12.	सचिव, खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग	सदस्य
13.	निदेशक, स्थानीय निकाय	सदस्य
14.	आयुक्त, ग्राम विकास खण्ड	सदस्य
15.	निदेशक, समाज कल्याण	सदस्य
16.	प्रबन्ध निदेशक, अनुगम	सदस्य
17.	प्रदेश के लीड बैंकों के दो बरिष्ठतम प्रतिनिधि	सदस्य
18.	दो प्रख्यात गैर सरकारी व्यक्ति जो स्वच्छकारों के उत्थान के लिए बचनवृद्ध हो और यथा सम्भव स्वच्छकारों में से हो	सदस्य
19.	सचिव, समाज कल्याण विभाग	सदस्य सचिव

मण्डल स्तर पर

1.	मण्डलायुक्त	अध्यक्ष
2.	संयुक्त विकास आयुक्त	सदस्य
3.	संयुक्त निदेशक, उद्योग	सदस्य
4.	उप श्रमायुक्त	सदस्य
5.	क्षेत्रीय ग्रामोद्योग अधिकारी	सदस्य
6.	उप निबन्धक, सहकारी समितियाँ	सदस्य
7.	लीड बैंकों के दो प्रतिनिधि	सदस्य
8.	दो प्रख्यात गैर सरकारी व्यक्ति जो स्वच्छकारों के उत्थान के लिए बचनवृद्ध हो और यथा सम्भव स्वच्छकारों में से हो	सदस्य
9.	उप निदेशक, समाज कल्याण विभाग	सदस्य सचिव

जिला स्तर पर

1.	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2.	मुख्य विकास अधिकारी	सदस्य
3.	सामान्य प्रबन्धक, जिला उद्योगकेन्द्र	सदस्य
4.	परियोजना अधिकारी / क्षेत्रीय महाप्रबन्धक	सदस्य
5.	जिला ग्राम्य एवं उद्योग अधिकारी	सदस्य
6.	समस्त प्रधानाचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	सदस्य
7.	समस्त प्रधानाचार्य, पालीटेक्नीक	सदस्य
8.	जिला समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य
9.	सहायक निबन्धक, सहकारी समिति	सदस्य
10.	लीड बैंक अधिकारी	सदस्य
11.	समस्त अधिशाशी अधिकारी, स्थानीय निकाय	सदस्य
12.	जिलाधिकारी द्वारा नामित दो प्रख्यात गैर सरकारी व्यक्ति जो यथासम्भवस्वच्छकार की श्रेणी के हो	सदस्य
13.	अपर जिला विकास अधिकारी(स.क.)पदेन जिला प्रबन्धक अनुगम	सदस्य सचिव

अनुसूचित जाति के शिक्षित बेरोजगारों को रोजगारपरक बनाने के उद्देश्य से कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना का संचालन किये जाने, कार्यदायी संस्थाओं के चयन हेतु शासनादेश संख्या 784/क.नि.प्र./26-3-2005-17(19)/97दिनांक 30 मार्च, 2006 द्वारा समिति का गठन निम्नवत है:-

राज्य स्तर पर

1.	प्रमुख सचिव/सचिव, समाज कल्याण विभाग	अध्यक्ष
2.	सचिव, विभाग विभाग	सदस्य
3.	प्रमुख सचिव/सचिव, प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्सविभाग	सदस्य
4.	प्रमुख सचिव/सचिव कार्मिक उद्यम विभाग	सदस्य
5.	प्रमुख सचिव/सचिव उद्योग विभाग	सदस्य
6.	निदेशक, समाज कल्याण	सदस्य
7.	प्रबन्ध निदेशक, अनुगम	सदस्य
8.	विशेष सचिव, समाज कल्याण विभाग उ.प्र. शासन	सदस्य सयोजक

शासनादेश संख्या 1417/क.नि.प्र./26-3-2005-3(26)/2003 दिनांक 03 फरवरी, 2005 द्वारा कौशल बृद्धि प्रशिक्षण योजनाओं के संचालन हेतु शासकीय एवं अशासकीय संस्थाओं से प्रशिक्षण दिलाने हेतु प्रशिक्षार्थियों एवं सस्थाओं का चयन जिलाधिकारी की अध्यक्षता में निम्नलिखित समिति का गठन किया गया:-

जिला स्तर पर

1.	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2.	जिला प्रबन्धक, अनुगम	सदस्य/सचिव
3.	आई.टी.आई. अथवा सेवायोजना विभाग का प्रतिनिधि	सदस्य
4.	प्रबन्धक, लीड बैंक	सदस्य
5.	प्रबन्धक, जिला उधोग केन्द्र	सदस्य
6.	विषय विशेषज्ञ	सदस्य